सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature..
ACC Name: SHIV KUMAR GOYAL, ACC Code : UP14003404
ACC Add : Sub-Registar, Noida Mob-0871428774
License No. 102/08, Tehsil & Distt.- Dadri G.B. Nagar, UP

Certificate No.	:	IN-UP07478600141901U
Certificate Issued Date	:	02-Jun-2022 04:12 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14003404/ NOIDA/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14003404065107226669142U
Purchased by	:	VISHNAVE GLOBAL SCHOOL
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	VISHNAVE GLOBAL SCHOOL
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	VISHNAVE GLOBAL SCHOOL
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

LOCKED S.R.O.-3 NOIDA

Please write or type below this line

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

PU 0000475496

Statutory Alert:

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

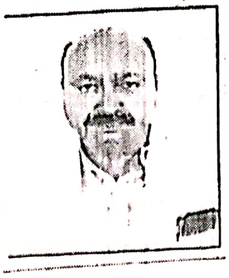

न्यास विलेख

विश्नेव ग्लोबल स्कूल

यह न्यास विलेख दिनांक 02.06.2022 को नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ0 प्र0 में निष्पादित किया गया है।

श्री प्रमोद कुमार चौहान (Aadhar No. XXXXXXXX 3286) पुत्र श्री केशव सिंह निवासी डी–205, सेक्टर–49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0 (इसके बाद इन्हें 'व्यवस्थापक' के नाम से जाना जायेगा) (जो कि अभिव्यक्त करता जब तक कि विरुद्ध या असंगत विषय या सन्दर्भ मायने उन के वारिसान, निष्पादन एंव प्रशासक) का प्रथम पक्ष

और

1. राहुल सिंह (Aadhar No. XXXXXXXX 1849) पुत्र श्री प्रमोद कुमार चौहान निवासी डी–205, सेक्टर–49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0
2. रागिनी चौहान (Aadhar No. XXXXXXXX 2426) पुत्री श्री प्रमोद कुमार चौहान निवासी डी–205, सेक्टर–49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0
3. हेमलता (Aadhar No, XXXXXXXX 1656) पत्नी श्री प्रमोद कुमार चौहान निवासी डी–205, सेक्टर–49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0
4. श्वेता सिंह (Aadhar No. XXXXXXXX 8090) पत्नी श्री राहुल सिंह निवासी डी–205, सेक्टर–49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0

इसके पश्चात ' ट्रस्टी '(न्यासी)', (जो कि अभिव्यक्त करता है जब तक कि विरुद्ध असंगत विषय या सन्दर्भ मायने इस के बाद उन के वारिसान और न्यासियों के रहते हुए ये मौजूद और वारिसान, निष्पादन एंव प्रशासक के आखिरी जीवित न्यासी) के द्वितीय पक्ष.. ....

यह कि व्यवस्थापक श्री प्रमोद कुमार चौहान (Aadhar No. XXXXXXXX 3286) पुत्र श्री केशव सिंह निवासी डी–205, सेक्टर–49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0, एक स्थिर, चित्त और धार्मिक विचार के व्यक्ति हैं जो कि शिक्षा तकनीकी, कम्प्यूटर, शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार के सामाजिक उत्थान एवं नागरिक उत्थान आदि एजूकेशनल, एवं वेलफेयर न्यास की स्थापना के लिए इच्छा रखते हैं और उसकी स्थापना के लिए रू0 10,000/- (रूपये दस हजार केवल) न्यास, शैक्षणिक उद्देश्य यह है कि इसके बाद अभिव्यक्त या इन विलेख और इस इच्छा की पूर्ति के वास्ते और उस से पहले इस विलेख के निर्मित होने, न्यास के लिए रू0 10,000/- न्यासियों को दिए।

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras

Scanned with OKEN Scanner

अब यह विलेख साक्षी हैं कि इस इच्छा पूर्ति के कार्यान्यवन के लिए और प्रतिफल में न्यासी सहमत हैं और निम्न घोषणा करता है:–

1- न्यास का नाम- "विश्नेव ग्लोबल स्कूल" शैक्षणिक एंव समाजिक कल्याण न्यास (इसके वाद 'न्यास' उल्लिखित होगा) (अंतगरत भारतीय रजिस्ट्रेशन न्यास एक्ट 1882)

2- न्यास का पंजीकृत कार्यालय- डी–205, सेक्टर–49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0 स्थित होगा या इस प्रकार के अन्य स्थान पर जैसा कि न्यासी समय समय पर सहमत हो

3. न्यास की निधि एंव संपत्तियां

न्यास की निधि एंव सम्पत्ति निम्न को मिलकर बनेगी :

A. रकम रू0 10,000/- (रूपये दस हजार केवल) जो कि व्यवस्थापक द्वारा निश्चित की गई हैं
B. दान, चंदा और वसीयती सम्पदा नगदी या वस्तु के रूप में, जो कि सदस्यों द्वारा दिये जाये कोई जनता का व्यक्ति, व्यवसायिक संस्थान, सहयोजन, न्यास एंव निगमित संस्था सभी या किसी भी उद्देश्य न्यास के सम्मिलित दान / चंदा दिया जाये किसी विशेष उद्देश्य या विषय के लिए।
C. चल सम्पति, अचल जो न्यास द्वारा अधिग्रहित की जाय, कय द्वारा, वदले में, पटटे, दान या किसी और जरिये से।
D. आय और लाभ न्यास की सम्पति से।
E. कोई शुल्क, प्रभार आदि जो की जनता या व्यक्तिगत आर्टिस्ट के प्रदर्शन से इकठ्ठा की गई हो।

विशेष– वर्तमान समय में न्यास के पास रु0 10000/– के अलावा कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है।

4. न्यास के लक्ष्य और उद्देश्य :

न्यास का लक्ष्य शुद्धतः पुण्यार्थ गरीवो के सहायतार्थ, शैक्षणिक, सामाजिक, स्वास्थ्य राहत और जनता के फायदे के उद्देश्य को पूर्ण करना है।

A. समाज के सभी वच्चो को विना किसी वर्ग, धर्म, जाति या पंथ के भेद किये पुख्ता शिक्षा देना।
B. विद्यार्थियों को शिक्षा देने और प्रशिक्षण के लिए स्कूल, कॉलेज, संस्थान, (पुस्तकालय, पठन कमरो, अध्ययन केंद्र और अन्य संस्थाए खोलना/स्थापना अर्जन करना एवं उन को सहायता देना।
C. गरीवो को स्वास्थ्य सहायता एंव महामारी के प्रकोप के समय सुयोग्य व्यक्तियों, विभीषिका या युद्ध के दौरान हर सम्भव सहायता प्रदान करना।
D. विद्यार्थियों को भोजन, कपडे, स्वास्थ्य सहायता, किताब, स्टेशनरी, खेल का सामान और अन्य सुविधाओ की व्यवस्था करना।
E. सुयोग्य विद्यार्थियों को छात्रवृति देना।
F. गरीव और असमर्थ वच्चो को मुफ्त शिक्षा और आवास मुहैया करवाना।
G. स्थापना और अर्जन-शैक्षणिक, सस्थानो को जो कि औरतो को प्रोद्योगिक प्रशिक्षण, व्यवस्थापन, मानविकी, व्यापार व व्यवसाहिक, विभिन्न प्रोद्योगिकी या किसी अन्य निकाय जो कि समाज या जनता की समुचित मानसिक विकास के लिए उपयोगी हो, सभी को सुविधा मुहैया कराना ताकि अनुसन्धान कार्य विकास और अन्य क्षेत्रो में किये जाये ताकि जनता के लिए लाभदायक हो।

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202200743036894

न्यारा पत्र

बही सं०: 4	रजिस्ट्रेशन सं०: 520	वर्ष: 2022

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

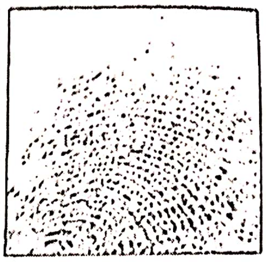

श्री प्रमोद कुमार चौहान ,
पुत्र श्री केशव सिंह
व्यवसाय : अन्य
निवासी: डी-205, सेक्टर-49, नोएडा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनॉक 02/06/2022 एवं 04:50:34 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पूनम सिंह
उप निबंधक :सदर तृतीय
गौतम बुद्ध नगर
02/06/2022

सत्येंद्र यादव .
निबंधक लिपिक
02/06/2022

प्रिंट करें

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL
President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

H. राष्ट्रीय एंव अंतराष्ट्रीय स्तर की ऐसी संस्थाओ से सम्बन्ध स्थापित करना जोकि शैक्षणिक और व्यवसायिक व्यवस्था, एप्लाईड साइंस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, और अनुसन्धान आदि ऐसे अवधि और शर्तो के जो कि न्यास को समुचित लगे और जो कि युवाओ के प्रशिक्षित करने और बौद्धिक विकास समुदाय के सामयिक विश्व के अनुसार किये जा सके।

I. स्थापना और उन का रख-रखाव छात्रावास और बोर्डिंग हाउस, और व्यवस्था मुक्त बोर्डिंग और भोजनालय गरीब और योग्य विद्यार्थी ऐसी शर्तो और समय के लिए प्रति केस में जैसा कि न्यासी समुचित समझे।

J. शिक्षा के प्रसार और ज्ञान के लिए किसी भी शाखा के लिए अनुदान, विन्यास, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थानों और अन्य शैक्षणिक और वैज्ञानिक, संस्थानों को (चाहे वे अब स्थित या इसके बाद स्थापित किये जाएँ।

K. शिक्षा देना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और समेकित विकास कार्यक्रम उन लोगो का जो के बुद्धिमान और वचनबद्ध आमतौर पर हो।

L. सामयिक, जरनल और मैगजीन आदि छापना इस उद्देश्य से कि लोगो को शिक्षित किया जा सके।

M. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास के आधार पर विकास और न्यास के लिए स्कूल कालिज या अन्य भवन प्रोजेक्ट के लिए उधार लेना, दान लेना, उपहार लेना, खैरात लेना, सरकारी अनुदान लेना, तथा बैंक, कम्पनियों और व्यक्तियों से कर्ज प्राप्त करना।यदि किसी व्यक्ति, सरकार या असरकारी आर्थिक संस्थान से उधार लिया हैं तो उस की वापसी की जिम्मेदारी न्यास के स्थाई सदस्यों की होगी।

N. न्यास द्वारा संचालित कार्यवाही के कारण यदि कोई आय होती हैं तो उसका इस्तेमाल न्यास की उन्नति और उस के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जायेगा।

O. शैक्षणिक कार्यक्रमों को चलाने, बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्थानों की स्थापना सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए की जायगी।

P. अधिशेष एंव अनुपयोजित आमदनी का भाग यदि किसी कारण किसी साल या साल में बचता हैं तो उसे इस तरह से निवेश किया जायगा कि समय समय पर उस से आमदनी हो सके और इन्कम टैक्स के प्रावधान के तहत जो न्यास पर लागू होते हैं और उस का निवेश भी अन्य मदों में जो की इन्कम टैक्स के प्रावधानों के अंतर्ग्रत हो। उनका निवेश न्यास की विधि जैसा कि निर्देशित हो निवेशित किया जायेगा।

Q. अभिदान, अंशदान या दान किसी संस्था को देना जोकि उपरोक्त उद्देश्यों को अग्रसर करती हो।

R. विकलांग व मन्द बुद्धि लोगों की मदद करना, शिक्षा देना व सरकार से सहायता करवाना।

5- न्यासियों का बोर्ड एंव उन के अधिकार :-

न्यास की व्यवस्था एंव नियंत्रण और न्यास की सम्पतियों के अधिकार न्यास के बोर्ड में निहित होंगे तथा न्यास के बोर्ड के कम से कम 3 'तीन' न्यासी होंगे, वर्तमान में निम्न न्यासी होंगे।

न्यासियों के नाम	पद
1. प्रमोद कुमार चौहान	व्यवस्थापक/चैयरमैन
2. राहुल सिंह	सचिव
3. रागिनी चौहान	सह–सचिव
4. हेमलता	उपाध्यक्ष
5. श्वेता सिंह	कोषाध्यक्ष

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL
President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202200743036894

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 520 वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री प्रमोद कुमार चौहान, पुत्र श्री केशव सिंह

निवासी: डी-205, सेक्टर-49, नोएडा

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री विनोद कुमार चौहान , पुत्र श्री महा सिंह चौहान

निवासी: एफ-20, शताब्दी एन्क्लेव, सेक्टर-49, नोएडा

व्यवसाय: अन्य

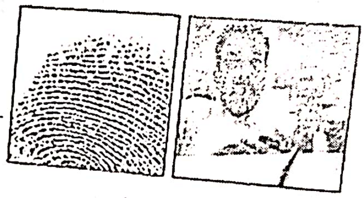

पहचानकर्ता : 2

श्री जीतेंद्र कुमार , पुत्र श्री श्यौंवरण सिंह

निवासी: बिजली घर 33/11 के वी मेट्रो के पास, सेक्टर 39 नोएडा

व्यवसाय: अन्य

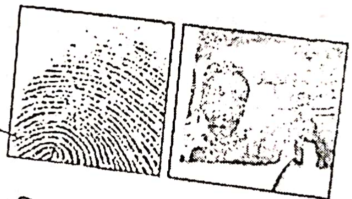

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

पूनम . सिंह
उप निबंधक : सदर तृतीय
गौतम बुद्ध नगर
02/06/2022

सतीश यादव .
निबंधक लिपिक गौतम बुद्ध नगर
02/06/2022

प्रिंट करें

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

A. जव कभी भी न्यासियों की संख्या 3 'तीन' से कम हो जाय तो लगातार न्यासी नए न्यासी को पद पर नियुक्त कर सकते हैं ताकि सारे न्यासियों की संख्या तीन से कम न हो |

B. वोर्ड के न्यासी गण को.न्यास के सम्वन्ध में उसे चलने व व्यवस्था करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा और न्यास द्वारा कोई अन्य संस्थान को स्थापित करना | जैसा कि इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाय |

C. न्यासियों के वोर्ड का एक नियमित चेयरमैन होगा और उस की अनुपस्थिति में एक चेयरमैन हर मीटिंग के लिए चुना जायगा जोकि वोर्ड का एक सदस्य होगा |

D. न्यास के प्रथम चैयरमैन अपने जीवनकाल तक रहेंगें, वोर्ड /चैयरमैन के फैसले के अनुसार यह निश्चय किया गया हैं की किसी भी न्यासी की मृत्यु के पश्चात, उस के ही परिवार के किसी सदस्य अथवा न्यासी द्वारा चिन्हित व्यक्ति को उस के स्थान पर न्यासी नियुक्त किया जायेगा |

E. न्यासी वोर्ड की मीटिंग समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार आहुत की जाएगी और यह उपवन्धित किया जाता हैं कि न्यासी वोर्ड की मीटिंग हर 6 माह में एक बार की जाय, समुचित अग्रिम नोटिस लिखित रूप में हर मीटिंग के पहले दिये जायेगें या पोस्ट आफिस के जरिये उन के साधारणतया पते पर भेजे जाएगें |

F. किसी भी मीटिंग के लिए गणपूर्ति होना आवश्यक हैं, गणपूर्ति में चेयरमैन के अलावा दो न्यासियों का मौजूद होना किसी भी मीटिंग के लिए आवश्यक हैं | कोई रिक्ति लम्बित के आलावा न्यासीगण, गणपूर्ति की कमी न हो तो सभी, प्राधिकार, शक्तियॉं और विवेक न्यासियों के वोर्ड में निहित हैं, प्रयोग कर सकता हैं |

G. सभी मामले न्यासियों की मौजूदगी और वहुसंख्यक वोट के आधार पर तय किये जायेंगे | चेयरमैन को निर्णायक वोट देने का अधिकार होगा, यद्यपि उसने उस विषय / सवाल पर अपना वोट दिया हो या नहीं |

H. कोई भी प्रस्ताव न्यासियों के वोर्ड के मध्य वितरित किया जायेगा |जो की भारत में होंगे और कम से कम 2/3 के वरावर मूल्य और प्रभावशाली इस प्रकार होगा जैसे न्यास के वोर्ड द्वारा किसी मीटिंग में पास किया गया हो, कर्तव्य संयोजन और गठित किया हो |

I. इस विलेख द्वारा ट्रस्ट के न्यासी स्वयतः प्रतिपूर्ति कर सकेंगे और निधि में से खर्च किया गया हैं | उस पैसे को जो उनके हाथ में हैं, सभी खर्चे न्यास के कामो के लिए किये गए हो | न्यासियों के वास्तविक यात्रा भत्ता न्यास की मीटिंग या सव कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए दिए जायेंगे |

J. न्यासियों को यह अधिकार भी होगा कि वे फैसला ले सके कि बाहर जाने के लिए धन या खर्चे आमदनी में से किये जाये और हर निश्चय पूर्ण रूप से उन पर वाध्यकारी और निश्चायक होगा | प्रवंधित यह हैं कि कोई भी इस विलेख में लिखित उपवन्ध की धाराओ में न्यासियों को यह अधिकार नहीं होगा कि वे न्यास की निधि/ आमदनी को खर्च कर सके |

K. न्यासी वोर्ड समयानुसार नियम और उपनियम न्यासको चलाने के लिए वना सकते है और न्यास द्वारा अन्य संस्थान जिन का प्रवंध न्यास द्वारा किया जाता है नियासीगण उन को प्रवंधन कर सकते है इस का सामान्य प्रशासन भी और जैसा वे ठीक समझते है और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को कमेटी या कमेटियों ऐसे न्यासियों और वाहरी व्यक्तियों को नहीं दे सकते है |

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary.

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

6. उन सभी शक्तियों के अलावा, जो कि उन्हें मिले है बिना उन्हें वापस लिए साधारणतया न्यासियों के बोर्ड के पास निम्न शक्तियाँ होंगी :-

A. नियासीगण स्वयं अपने में से किसी एक को प्रवंधक न्यासी नियुक्त करेंगे , ऐसी शक्तियों सहित जो समय समय पर दी जायगी और श्री प्रमोद कुमार चौहान, प्रमुख न्यासी रहेंगे ।

B. किसी एक या अधिक न्यासियों को बैंक खाता चलाने कि आज्ञा होगी बिना किसी अन्य न्यासियों के दायित्व के, खातों का निरिक्षण या सभी न्यासी किसी भी ऐसे कार्यो या गलतियों के जो कि खातों में की गई हैं, जिम्मेदार होंगे

C. न्यास के कार्यो के लिए अचल व चल सम्पति खरीद करने, बनाने के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए उस की कीमत समय या अन्य शर्तो पर निर्णय होगा जैसा न्यासी उचित समझे ।

D. किसी भी न्यास की सम्पति को किराये पर देने, बंधक रखने, भारित करने ऐसे किराये या क्षतिपूर्ति पर और ऐसी किसी भी शर्तो पर, किसी भी समय अवधि के लिए दी जा सकेगी जैसा कि न्यासी उचित समझे।

E. सभी को बहुसंख्यक न्यासियों के फैसले के अनुसार कार्य करना होगा । परन्तु जब न्यासीगण एकमत न हो तो न्यासियों के बहुसंख्या के आधार पर लिए जायेगा और ऐसा फैसला सब पर / अल्पसंख्यक न्यासियों, जिन्होंने अपना मत भी न दिया हो, बाध्य कारी होगा । जब मत किसी मसले पर बराबर के हो तो चेयरमैन के कास्टिंग मत द्वारा निर्णय माना जायेगा ।

F. न्यासियों द्वारा मीटिंग में शामिल होने के लिए किये गए खर्चे।

G. सद्भावना पूर्ण इरादे से न्यास के लिए किसी भी समझौते, शमन, परित्याग, मध्यस्थता, या किसी वाद के कार्य को सुलझाने, कर्ज, दवा या वस्तुऐं न्यास के निधि प्रशासन या किसी संख्या के रख-रखाव और किसी अन्य कार्यवश प्रविष्टि करना, देना और निष्पादित करना और कोई भी बंदोवस्त करना, लिखित संरचना, या प्रवंधन, नियुक्ति और अन्य कार्य करने का दायित्व या जिम्मेदारी से करने से उन पर नुकसान आदि का कोई दायित्व न होगा । शर्त यह हैं कि उस कार्य को सक्षमता और पूर्ण रूप से किया गया हो । अन्य संस्थानों के बारे में भी यदि उपरोक्त कार्य किया जाये तो नुकसान के जवाबदेही न होगी ।

H. किसी संस्था के प्रतिदिन और अन्य कार्यो के व्यवस्था या संचालन के लिए एक या और अधिक व्यवस्थापक समितियां बनाई जाएगी जिन का पूर्णरूप से पर्यवेक्षण और नियंत्रण होगा । न्यासीगण कभी भी किसी प्रकार की व्यवस्थापक कमेटी को जो कि किसी विशेष कार्यक्रम के लिए गठित की गई हो भंग कर सकते हैं।

I. कोई भी नियम और विनियम न्यास की संस्थाओ के व्यवस्थापन और संचालन के लिए जैसा वे ठीक समझे बना सकते हैं और उन में संशोधन भी समय समय पर और नए नियम और विनियम बना सकते हैं बशर्ते कि ऐसे नियम और विनियम इन विलेखों के मूल भावना के खिलाफ न हो ।

J. किसी व्यवस्थापक न्यासी या न्यासीगण या किसी अन्य न्यासियों को या न्यासो को या सामूहिक/प्रथम न्यासियो को विनिधान की आज्ञा दी जा सकती हैं जब तक न्यासीगण चाहे ।

K. न्यास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उधार या अन्य पैसा इकट्ठा किया जा सकता हैं शर्तो पर जैसी राय दी जाय और विशिष्टतः बाण्डों का निर्गमन, डिबेंचर, विनिमय पत्र, वचन पत्र या बंधक पत्र या विनियम न्यास की संपत्ति के बदले ।

L. न्यास को किसी अन्य न्यास, सोसाइटी, संस्था या अन्य निकाय जिस का लक्ष्य न्यास के लक्ष्य के समान हो समामेलन किया जा सकता है ।

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras

Scanned with OKEN Scanner

M. न्यास के मुख्य लक्ष्य के प्रतिकूल प्रभाव के बिना इस विलेख के प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता हैं जैसा कि न्यासीगणो को करना हैं| आयकर की शर्तो के अनुसार की न्यास धारा 80 जी और 11 आयकर अधिनियम 1961 में मूल संशोधन पुनः निर्गमित समयानुसार लागु हो 'अ' यधपि कोई भी ऐसा संशोधन क़ानूनी नहीं होगा जब तक कि न्यासियों द्वारा समय समय पर मीटिंग में एक प्रस्ताव द्वारा उस का उन्मोदन न कर दे 'ब' यद्यपि कि न्यासीगण अपने पूर्ण विवेक से फैसला करेंगे कि उस का लाभ लिया जाये या नहीं।

N. उपरोक्त वर्णित कोई भी शक्तियां न्यासीगण द्वारा किसी भी फायदे के लिए किए गए कार्यो का प्राधिकृत करना समझा जाये और इन शक्तियों को न्यासीगण न्यास की आय को इस प्रकार उपयोग करेंगे कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की धाराओ 11, 12 और 13 के अंतर्गत कर से पूर्ण रूप से मुक्त हो और इस प्रकार की अन्य धाराओ या उपनियमों जो कि समय-समय पर संशोधित की गई हो।

O. किसी उपबंधित अज्ञापक कानून के समय पर लागू के अधीन रहते हुए और जो न्यास पर लागू हो, तो न्यासीगण सभी धन धरा 11 '5' आयकर अधिनियम 1961 के तहत विनिहित करेंगे | और बिना किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव उपरोक्त शक्तियों के, न्यासीगण किसी भी धन को विनिहित कर सकते हैं यदि विनिहित धन '1' अचल सम्पत्ति को भारत में स्थित या कही भी स्थित को खरीद कर सकते हैं यदि उस से विकास कार्य होता हो न्यासीगण उधार लेंगे ऐसे ब्याज पर जैसा वे ठीक समझे और उस में सिक्योरिटी, सुरक्षा, के तौर पर न्यास निधि या कोई अन्य सम्पत्ति जो कि न्यास के हिस्से को समाहित करती हो नहीं रखेंगे '2' खरीद में या अभिदान, डिबेंचर, स्टाफ, निधि, शेयर, प्रतिभूति किसी कंपनी / निगम चाहे तो भारत में या कही भी निगमित हो और जैसा की आयकर अधिनियम 1961 के तहत मंजूर किया गया हो | '3' किसी अचल सम्पति या चल सम्पति के साम्या के आधार पर उधार देना जो कि आयकर एक्ट 1961 के प्रावधानों का विचार कर दिया जाय, आशय यह हैं कि न्यासीगण पूर्ण रूप से और निबंधित रूप से शक्तियों का इस्तेमाल विनियोजन और परिवाह सभी के लिए करेंगे जिस से पूर्ण रूप से फायदेमंद हो | '4' शक्तियों का परिपालन विनियोजन क़ानूनी रूप से न्यासियों पर अधिभारित होगा | कोई भी न्यासी किसी नुकसानी के लिए जिम्मेदार न होगा या न्यास के निधि, जब तक कि ऐसा नुकसान उसकी स्वयं की बेईमानी या जानबूझ कर किया गया कार्य उसकी जानकारी में हो और उस का यह कार्य अमानत में खयानत माना जायगा |

7. <u>न्यासियों का निवर्तन</u> :

कोई भी न्यासी एक माह का लिखित नोटिस अन्य न्यासियों को देकर निवृत्त हो सकता हैं | न्यासीगण स्वयंमेव घटती सदस्यता खो देंगे और न्यासी के आफिस को खाली कर देंगे यदि उन के साथ घटना घटती हैं:-

A. मृत्यु, त्यागपत्र या निवर्तन द्वारा
B. यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो
C. यदि वह दिवालिया हो जाय या वह इसके लिए आवेदन करे कि वह दिवालिया घोषित हो
D. यदि वह किसी अपराध के कारण 6 माह से अधिक का सजयाफता हो और
E. यदि वह बिना अन्य न्यासियों के अनुमति के लगातार 6 माह से अधिक समय के लिए भारत से गायब हो|

8. <u>रिक्तियों को पूर्ति</u> :

न्यासी की रिक्ति की पूर्ति अन्य न्यासियों की बहुसंख्या द्वारा की जाएगी | न्यासी के कार्यकाल में मृत्यु द्वारा या त्यागपत्र द्वारा होती हैं तो न्यास के चेयरमैन द्वारा नामांकन किया जायगा |

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHO

President / Secreta

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

9. न्यासी को हटाना :
न्यासी के बोर्ड द्वारा किसी भी न्यासी को उस के कार्यकाल से हटाया जा सकता है यदि उनकी राय में ऐसा न्यासी बोर्ड के हितो को जैसा जरुरी है नही वहन करता हो ।

10. लेख / हिसाब की किताबे :-
लेख / हिसाब के किताबे न्यासीगण ठीक से रखने के लिए :-

A. न्यास द्वारा सभी प्रकार का धन प्राप्ति और खर्चे, सभी मामलो पर प्राप्ति और खर्चे हुए हो ।
B. न्यास की सभी आस्ति और दायित्वों को ।
C. लेखा / हिसाब की किताबो को न्यास के रजिस्टर्ड कार्यालय पर रखा जायेगा और अन्य स्थानो पर जैसा कि समय समय पर बोर्ड फैसला करेगा, लेखा की सभी खाते न्यासियों के निरीक्षण के लिए हमेशा खुले रहेंगे ।
D. आय और व्यय का हिसाब व तुलनापत्र न्यास के प्रबंध मंडल / सचिव द्वारा तैयार किया जायगा और हर वित्त वर्ष के आखिर में एक बार आडिट किया जायेगा ।
E. कोर्ट नोटिस न्यासी को इन प्रलेखों के वास्ते समझा जायगा यदि वह डाक द्वारा न्यासी के डाक पते पर भेजा गया हो जो कि उसके आखिरी जानकारी के अनुसार निवास या व्यवसाय भारत में हो ।
F. उपरोक्त के अनुसार न्यासी बोर्ड समय-समय पर विनियम और उपबंध बना और संशोधन अपने, कार्यकलापो को संचालित करने के लिए कर सकता है और उन अन्य विषयो के बारे में भी जैसी की उन शक्तियां और कर्तव्य उन में निहित है और जैसा वे उचित समझे ।
G. न्यासियों के लिए यह क़ानूनी होगा कि वे न्यास निधिक पैसे या आमदनी का इस्तेमाल निर्माण, नई इमारत बनवाये, मकान बनवाए या नवीनीकरण करे, दुवारा से बनवाए, सुधार और विकास सभी के लिए, जैसा वे उचित समझे कर सकते हैं न्यासियों को हक़ होगा कि वे अपने नाम से कोई को-आपरेटिव सोसाइटीयां इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं, संरक्षण, लाभ और सुधार न्यास के लिए या उस की सम्पति यहाँ पर निहित हो जैसा वे ठीक समझे और वह इन विलेखों के अनुसार पुण्यार्थ कार्यकम या अन्य कारण से किसी प्रकार की संविदा या अन्य कार्यकम हो, कर सकते हैं ।
H. अनुदान, वसीयत या ऐसी शर्तो और परिस्तिथियों में जैसा न्यासीगण ठीक समझे, न्यासीगण को अधिकार होगा कि दान में धन को आमंत्रित करे या स्वीकार करे । चल व अचल संपत्ति, बॉड, डिबेंचर, प्रतिभूति, शेयर अनुदान में ले या अन्य तरीके से जैसा इन विलेखों के आधार के अनुसार ठीक समझे और इस प्रकार के दान आदि न्यास निधि की वृद्धि के लिए न्यासीगण ले सकते हैं । यधपि न्यासीगण ऐसे किसी दान को लेने से मना कर सकते है यदि वे उसे अनुचित समझते हैं ।
I. न्यासीगण कार्यवाही को नियंत्रित एंव स्थगित करने के लिए आपस में मिलकर कर सकते हैं और अन्यथा अपनी बैठक एंव कार्यवाही को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसा व ठीक समझे ।
J. कोई भी प्रस्ताव न्यासियों की बैठक के बिना पारित और लिखित में अधिसंख्य न्यासियों के हस्ताक्षर से वैध माना जायेगा और उसी प्रकार प्रभावशाली हो जिस प्रकार कोई प्रस्ताव न्यासियों की बैठक में इन विलेखों के आधार और नियमो द्वारा किया गया हो ।
K. न्यासियों की बैठक में 2/3 न्यासियों की उपस्थित गणापूर्ति मान्य होगी ।
L. न्यासीगण खातों को सही प्रकार से रखेंगे, जिस में सभी प्राप्ति और खर्चे जो न्यासनिधि में से किये गए है और अन्य संस्थानों के जिन की न्यास मान्यता है से भी और सभी खातों की प्रबंधक न्यासी की सुरक्षा में या किसी अन्य न्यासी की सुरक्षा में रखा जायगा, जैसा की न्यासीगण फैसला करे ।

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL
President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

M. जहां न्यासीगण न्यास के तात्पथिक अभ्यास और शक्तियों के या कानून द्वार प्रदत्त, काउन्सिल की राय के अनुसार कार्य, सोलिसिटर या अधिवक्ता, इंजिनियर, सर्वेयर, स्टेट एजेंट, दलाल, खजांची, एकाउंटेंट या विशेषज्ञ की राय से कार्य करते हैं तो न्यासीगण, किसी नुकसान के लिए, जो ऐसी राय द्वारा हो जिम्मेदार न होंगे लेकिन ऐसा कार्य करना प्राधिकृत माना जायगा जैसा कि उसी प्रकार से क्या गया कार्य किसी विशेष निर्देश के तहत या न्यायलय के क्षेत्राधिकारी द्वारा दिया गया हो।

11. शैक्षणिक एंव सामाजिक कल्याण न्यास के नियम एंव विनियम

A. न्यास (विश्नेव ग्लोबल स्कूल) शैक्षणिक एंव सामाजिक कल्याण न्यास के नाम से अन्तर्गत भारतीय रजिस्टीकरण न्यास एक्ट 1882 से पुकारी जाएगी।

B. न्यास का रजिस्ट्रर्ड कार्यालय- डी—205, सेक्टर—49, नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उ0 प्र0

12. परिभाषाऐं

इन नियमो एंव विनियमन का अनुवाद, जब तक की विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो

A. व्यवस्थापक के मायने न्यास के संथापक श्री प्रमोद कुमार चौहान

B. 'न्यासी' मायने / अभिप्रेत न्यास के न्यासीगण न्यास विलेख के समय नियुक्त एंव बाद में,

C. 'निधि' से अभिप्रेत न्यास निधि, न्यास विलेख द्वारा स्थापित एंव समय समय पर उस मे वृद्धि।

D. वोर्ड से अभिप्रेत, न्यासीगण का वोर्ड तत्समय।

E. उन नियमो एंव विनियमन उपबंध व जव तक लागू होंगे जब तक वे नियम विरुद्ध न हो और विलेख में उद्धित न हो।

13. व्यवस्थापक न्यासी / सचिव /प्रबन्धक न्यासी बोर्ड के देखरेख में उनकी शक्तियाँ निम्न होगी।

A. कर्मचारियों की नियुक्ति या उनको हटाना,

B. न्यास के लिए बैंक खातों का संचालन

C. आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार न्यास निधि को सरकारी प्रतिभूति पोस्ट आफिस या बैंक में विनियोजित करना।

D. न्यास के सभी मामलों की आयकर अधिकरण के समक्ष निपटाना,

E. न्यास के द्वारा कोई धन स्वीकार करना और रसीद जारी करना,

F. पवार आफ अटॉर्नी ऐसे वृतिक जैसे कि, वकील, चार्टड एकाउंटेंट, सॉलिसिटर आदि को देना जो कि न्यास निधि और उन से सम्वंधित मामले में लगे हो और उन को जैसा ठीक समझे मेहनताना दे,

G. रोजमर्रा के खर्चो को न्यास निधि/धन से खर्च करने की, जिस से न्यास को चलाना और लक्ष्य प्राप्ति के लिए हो।

H. न्यास के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए धन खर्च करना।

I. न्यासीगणो के मध्य किसी विवाद का और किसी न्यासीगण के कार्य को अन्य बोर्ड के न्यासीगण नहीं स्वीकारते हैं तो विवाद को न्यास के चेयरमेन (यदि कोई है तो) और उस की अनुपस्थति में न्यास के व्यवस्थापक, न्यासी/सचिव/प्रवंधक को या बोर्ड के ट्रस्ट ऑडिटर की सहमति से।

J. उन्हें निर्देशित किया जायगा, उनका फैसला अंतिम होगा और सभी सम्वद्ध लोगो पर बाध्यकारी होगा।

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

14. <u>न्यासीगण की शक्तियाँ और कर्तव्य एवं 'प्रक्रिया</u> :-

A. शक्तियां और कर्तव्य एंव न्यासीगण की सभी जिम्मेदारियां न्यास विलेख में विहित होगी।

B. न्यास बोर्ड के चेयरमैन जब वे मौजूद हो बोर्ड की सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता करेंगे।

C. यदि चेयमैन न हो या वह मीटिंग करने के समय पर 03 दिन में न हो या वह मीटिंग में चेयरमैन की भूमिका न निभाना चाहे तो न्यासीगण द्वारा चेयरमैन को किसी विशेष मीटिंग के लिए नामित किया जायेगा|

D. बोर्ड की मीटिंग हर छः माह में एक बार आहूत की जायगी लेकिन दो मीटिंगों के मध्य समय बढ़ना नहीं चाहिए।

E. न्यास के दो न्यासियों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा देने पर बोर्ड का चेयरमेन बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा।

F. बोर्ड की हर बैठक के लिए बोर्ड के हर एक सदस्य को जो उस समय भारत में हो, दस दिन से कम का नोटिस न होगा।

G. बोर्ड के हर सदस्य को, चेयरमैन सहित, एक मत देने का अधिकार होगा, बराबर वोट होने पर चेयरमैन को अपने मत के अलावा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

H. बोर्ड, इस न्यास विलेख के उपबन्धों के अन्तर्गत, अपनी कोई भी शक्ति कमेटी को जो कि इस का भाग हो, जैसा वह ठीक समझे दे सकता हैं।

I. न्यास विलेख में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्य उपबंधित हैं, उसके सिवाय, बोर्ड के दो सदस्यों द्वारा लिखित में प्रस्ताव (चेयरमैन के अलावा) या एक कमेटी तत्समय और बोर्ड कमेटी की लिखित सुचना (नोटिस) को पाने की अधिकारी होगी, वह उस प्रकार कानूनी और प्रभावी होगी, जैसे की वह बोर्ड या कमेटी द्वारा पारित की गई है, अधिवेशन बुला कर अभिनियमित की जायेगी|

J. न्यासीगण कार्यवृत को किताब में लिखेंगे जो किस उद्देश्य से रखी गई हैं। संक्षिप्त वर्णन लिखेंगे

K. न्यासीगण द्वारा सभी अफसरों की नियुक्ति का ब्यौरा,

L. न्यास की सभी बैठको में पास प्रस्ताव और कार्यवाही को और न्यासीगण की और कमेटी के न्यासीगण की और हर न्यासीगण जो मीटिंग मे उपस्थित हैं या न्यासीगण की कमेटियां, जो इस उद्देश्य से रखी गई किताब में नाम सहित हस्ताक्षिरत करेंगे।

15. <u>मोहर</u>

न्यास की एक सामान्य मोहर होगी और बोर्ड एंव न्यासीगण उसे सुरक्षित स्थान पर रखेंगे। मोहर को किसी भी लिखित पर नहीं लगाया जायेगा सिवाय उनके कि वह न्यासी बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा पास किया गया हो और उस समय कम से कम दो न्यासीगण या व्यवस्थापक न्यासी / सचिव / निर्देशक और कोई एक अन्य न्यासीगण और वे हर लिखित पर हस्ताक्षर करेंगे और उन की मौजूदगी में मोहर लगाई जायगी।

16. <u>परित्राण एंव सदभावपूर्वक किया गया कार्य</u>:-

न्यास विलेख के नियमों के अध्यधीन, न्यास के पदाधिकारी और किसी कमेटी के बोर्ड के सदस्यगण को न्यास के सभी कार्यो के करने का संरक्षण यदि वे न्यास के कार्यो को सदभावपूर्वक करते हैं तो बोर्ड के पदाधिकारी किसी अन्य पदाधिकारी / बोर्ड के सदस्य द्वारा किये गए कार्यो के लिए जिम्मेदार होंगे।

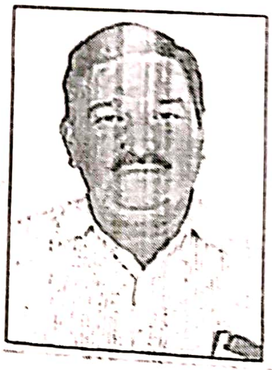

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

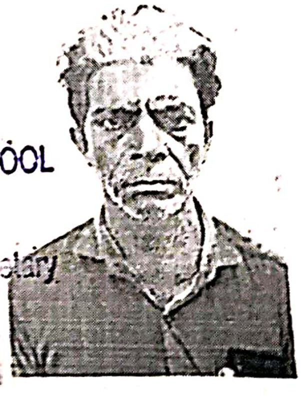

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

Scanned with OKEN Scanner

सन/विभाग द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रतिबन्ध स्वीकार है:-

A. विद्यालय की पंजीकृत ट्रस्ट का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

B. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

C. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

D. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली, काउंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

E. संस्था के शिक्षण एंव शिक्षणत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगें।

F. कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेंगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति लाभ उपलब्ध करायें जायेगे।

G. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उसका पालन करेगी।

H. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है तथा भविष्य में भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायेगी।

I. विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र व पंजिकाओं में रखा जायेगा।

J. उपर्युक्त क्रम A से I में कोई परिवर्तन व संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

सचिव/अध्यक्ष
विश्नेव ग्लोबल स्कूल ट्रस्ट
थूलई हाथरस

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

President / Secretary

Principal
Vishnave Global School
Thulai (Hathras)

17. बैंक खातों का संचालन :-
उक्त न्यास विलेख पंजीकृत होने के बाद न्यास के नाम से बचत/चालू खाता खोला जायेगा जिसमें तीनों मुख्य पदाधिकारी– व्यवस्थापक/चैयरमैन, सचिव व कोषाध्यक्ष को हस्ताक्षर के लिये अधिकृत किया जायेगा और बैंक खाता किन्हीं दो पदाधिकारियें के हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जायेगा।

न्यास एतद द्वारा स्थापित अप्रतिसंहरणीय होगी | आज की तारीख में न्यास किसी अचल सम्पति की स्वामी नहीं हैं।

अतः यह न्यास विलेख को हम सभी न्यासियों ने अपनी समस्त शुद्व–बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा मे खूब सोच समझकर बिना किसी दवाव व बहकावे के निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया है ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे। इति।

साक्षीगणः–

ह0 व्यवस्थापक/चैयरमैन

1.
विनोद कुमार चौहान
पुत्र श्री महा सिंह चौहान
निवासी एफ–20, शताब्दी इन्कलेव
सैक्टर–49, नोएडा
Aadhar No. XXXXXXXX 0551

2.
जीतेन्द्र कुमार
पुत्र श्री श्यौवरण सिंह
निवासी बिजली घर, 33/11 केवी, मैट्रो के पास
सैक्टर–39, नोएडा
Aadhar No. XXXXXXXX 5659

FOR - VISHNAVE GLOBAL SCHOOL

Principal
Vishnave Global School

President / Secretary

Scanned with OKEN Scanner